न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 14 बी.एल.डी. (बी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

-प्रार्थी-

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री गंगाराम जाति मेघवाल निवासी 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. बनवारी लाल पुत्र श्री गंगाराम जाति मेघवाल निवासी 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।

-अप्रार्थीगण-

उपस्थिति - 1. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 64/2020 **निर्णय दिनांक - 19/04/2022**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 14 बी.एल.डी. (बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 45 प.नं. 231/418 का किला नं. 14, 18/2 का 0.266 है. भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 खाता संख्या 7 में है। चक 17 बी.एल.डी. का मु.नं. 45 प.नं. 231/418 का किला नं. 19/2 का 0.013 है., किला नं. 20/1 का 0.012 है. कुल 0.025 है. भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है। चक 14 बी.एल.डी. का प.नं. 231/418 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत शुदा रास्ता आम है उपरोक्त स्वीकृत शुदा रास्ता आम से प्रार्थी के खेत में किला नं. 18, 14 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण से प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से अपने रकबा में आने जाने के लिए उनके किला नं. 20, 19 में से 1-1 बिस्वा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने का आग्रह किया गया जो कि अप्रार्थीगण के द्वारा किला नं. 20, 19 में किला नं. 11, 12 के साथ चिपता हुआ भाग 1-1 बिस्वा दोनों बीघों में कुल 2 बिस्वा भूमि को रास्ता के रूप में उपयोग करने हेतु छोड़ दिया जिसका उपयोग प्रार्थी पिछले काफी वर्षो से निरन्तर, साधिकार करता आ रहा है व प्रार्थी किला नं. 20 में चले रहे स्वीकृत शुदा रास्ता से किला नं. 20, 19 जो कि किला नं. 11, 12 के साथ साथ-साथ रास्ता उपयोग हेतु छोड़ा हुआ है, का उपयोग करते हुए अपने रकबा किला

लगातार.....2

Scanned with CamScanner

नं. 18 में प्रवेश करता है इस प्रकार प्रार्थी अपनी भूमि में प्रवेश कर अपनी भूमि को काश्त कर रहा है व उपरोक्त किला नं. 20, 19 का 2 बिस्वा भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में अप्रार्थीगण की सहमति से काफी वर्षो से निरन्तर साधिकार करता आ रहा है। प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए अनय कोई सुगम रास्ता नहीं है। चूंकि प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में काफी वर्षो से निरन्तर साधिकार करता आ रहा है किन्तु उक्त भूमि आज रोज भी अप्रार्थीगण के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है जिस कारण से उक्त रास्ता को कभी भी बाधित या बन्द किया जा सकता है जिससे प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पडेगा व उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रहने से भविष्य में अनके प्रकार की परेशानियां पैदा होगी इसलिए प्रार्थी उपरोक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में दर्ज करवाना चाहता है। उपरोक्त भूमि बावत कोई प्रतिफल भी अप्रार्थीगण को दिया जाना शेष नहीं है चूंकि रास्ता में आयी भूमि बावत समस्त प्रतिफल भी अप्रार्थीगण पूर्व में प्राप्त कर चुके है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त भूमि जो उनके नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है को रास्ता आम के रूप में दर्ज करवाने बावत निवेदन किया जाता रहा जिस पर अप्रार्थीगण आश्वासन देते रहे कि जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो उक्त भूमि को रास्ता आम दर्ज करवा लेगे किन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर प्रार्थी के द्वारा आज से एक सप्ताह पूर्व अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर पुनः इस बाबत कहा तो उनके द्वारा रास्ता आम स्वीकृत करवाने की कार्यवाही में सहयोग करने से इन्कार कर दिया जिस कारण से प्रार्थी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा। उपरोक्त भूमि मौका पर रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही है जिसे प्रार्थी रास्ता आम स्वीकृत करवाना चाहता है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। आदि का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 14 बी.एल.डी. का मु.नं. 231/418 किला नं. 19/2 का 0.013 है., किला नं. 20/21 का 0.012 है. कुल 0.025 है. भूमि को रास्ता आम के रूप में दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गुरजन्ट सिंह के नाम से चक 14 बी.एल.डी.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 231/418 (45) का किला नं. 18, 14 का रकबा है जो कि उपरोक्त मुरब्बा में आने जाने के लिए स्वीकृत शुदा रास्ता किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में है। उपरोक्त प.नं. 231/418 का किला नं. 19/2 का 0.013 है. व किला नं. 20/1 का 0.012 है. भूमि मुझ अप्रार्थी एवं बनवारी लाल के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है जो कि उपरोक्त रकबा रास्ता के रूप में ही उपयोग में लाया जा रहा है एवं उक्त भूमि से ही गुरजन्ट सिंह अपने किला नं. 18 में प्रवेशकरता है जो कि अप्रार्थी का रकबा किला नं. 20/1 19/2 का रकबा किला नं. 11, 12 के साथ चिपता हुआ है जहां से गुरजन्ट सिंह अपने किला नं. 18 व 14 में प्रवेश करता है। चूंकि उक्त भूमि का उपयोग रास्ता में ही हो रहा है इसलिए उक्त भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। व इस रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में कोई प्रतिफल नहीं चाहता हूँ।

लगातार.....3

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 14 बी.एल. डी.(बी) के प.नं. 231/418 (45) के किला नं. 14/0.253, 18/0.013 कुल 0.266 है. कमाण्ड रकबा गुरजन्ट सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपने रकबा व ढाणी तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग कर रहा है। प्रार्थी को रास्ता परम आवश्यक है। उक्त जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। उक्त जोत तक पहुंचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का उपयोग अप्रार्थी के रकबे में से सहमति से किया जा रहा है जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प व्यवहारिक है। लघुतम मार्ग को स्वीकृत करने पर किसी संरचना का नुकसान होने की सम्भावना नहीं है। (एक छोटा कीकर है) जोत तक पहुंचने का सम्पूर्ण रास्ता अप्रार्थी के रकबे में से होकर गुजरता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम एवं सबसे छोटा रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 14 बी.एल.डी. का मु.नं. 231/418 किला नं. 19/2 का 0.013 है., किला नं. 20/21 का 0.012 है. कुल 0.025 है. रकबा रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी डी.एल.सी. की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को देगा। उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भांति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अमलदरामद किया जावे यदि मौका पर रास्ते की भूमि पर फसल बिजान है तो प्रार्थी से फसल का उचित मुआवजा भी अप्रार्थीगण को दिलवाया जाकर रास्ता चालू करवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19/04/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned with CamScanner